न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा

पत्रावली संख्या : 01/2026 (अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

उनवान

श्री जीवनराम मीना दरा स्टेशन तहसील कनवास,जिला कोटा (राज0)

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सांगोद जिला कोटा

(प्रतिपक्षी)

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1)
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय दिनांकः 22/01/2026

1– श्री जीवनराम मीना दरा स्टेशन तहसील कनवास,जिला कोटा (राज0) मो0 न0 8955431920 द्वारा यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत इस बाबत् प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्धारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिनांक 16.11.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सांगोद के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबध में तहसीलदार सांगोद द्वारा उपलब्ध करवाई गई न ही कोई कार्यवाही की गई है।

अतः प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा वाछित सूचना की जानकारी की प्रमाणित सूचना देने हेतु लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सांगोद को आदेश जारी करने की कृपा करे।

2– अपीलार्थी की अपील पर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सांगोद जिला कोटा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबध में टिप्पणी/ रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया । अपीलार्थी को भी सुनवाई हेतु लिखा गया अपीलार्थी वास्ते सुनवाई हेतु उपस्थित होकर अपील स्वीकार कर वाछित सूचना दिलावाए जाने बाबत निवेदन किया।

अति० जिला कलक्टर
कोटा

3— लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट / टिप्पणी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्रांक / भू0अ0 / 2025 / 18 दिनांक 24.12.2025 से वाछित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा वाछिंत सूचना के संबध में लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सांगोद द्वारा टिप्पणी / रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम दरा स्टेशन में विक्रेता श्री बंसतलाल चांदमल से एक दुकान खरीद करना बताकर दिनांक 27.5.1969 को करवाई गई रजिस्ट्री के समय विक्रेता बसन्तीलाल द्वारा पंजीयन कार्यालय में पेश किये गये दस्तावेज उपलब्ध करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। तहसील सांगोद की पंजीयन शाखा में उक्त पंजीयन वर्ष का रिकार्ड उपलब्ध न होने से प्रार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है। पंजीयन रेकार्ड उपलब्ध नही होने के कारण प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है। प्रार्थी द्वारा खरीद की गई दुकान किस खसरा नम्बर की भूमि पर है बिना दस्तावेज बताया जाना संभव नही है।

पत्रावली में लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना दस्तावेज उपलब्ध न होने एवं सूचना प्रश्नात्मक् होने के कारण उपलब्ध नही करवाई जा सकी है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नही होने से अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सांगोद को भिजवाई जावे।

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
एवं प्रथम अपीलीय
अधिकारी कोटा,जिला
कोटा

अति. जिला कलक्टर
कोटा